



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.08.2024

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला कुरैशियान कस्बा चौसाना में महिला की हत्या की घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त( पुत्र) को त्वरित कार्यवाही कर अल्प समय अवधि में किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल फावड़ा

बरामद:-

आज दिनांक 21.08.2024 को मौहल्ला कुरैशियान कस्बा चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली में एक युवक द्वारा अपनी माँ की हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व थाना प्रभारी झिंझाना मय फोर्स मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किये। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रकरण के सम्बन्ध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला कुरैशियान कस्बा चौसाना में महिला की हत्या की घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त (पुत्र) को अल्प समय अवधि में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल फावड़ा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सोबान पुत्र अय्युब निवासी मौहल्ला कुरैशियान चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0-416/16 धारा 147, 148, 323, 324, 452, 504, 506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0-334/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.आलाकत्ल 01 फावड़ा।



**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में मारपीट कर युवक की हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में अभियुक्तगण फिरोज आदि द्वारा अफसर उर्फ भूरा पुत्र बदलू निवासी ग्राम रोटन रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ मारपीट कर हत्या कर दी थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक अफसर के भतीजे आजम पुत्र इलियास द्वारा थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना में लिप्त शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में मारपीट कर युवक की हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त फिरोज व शांहरुख को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

- 1.हाशिम पुत्र मुंशी निवासी रतौंध उर्फ रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.अफशरून पुत्र नूरदीन निवासी रतौंध उर्फ रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त हाशिम उपरोक्त:-**

- 1.मु0अ0सं0 213/2024 धारा 302/120 बी भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 233/21 धारा 323/324/325/504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अफशरून उपरोक्त:-**

- 1.मु0अ0सं0 213/2024 धारा 302/120 बी भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 414/16 धारा 147/323/325 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 670/17 धारा 307/323/392/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।



## **थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से स्कूटी के पार्टस बरामद:-**

आज दिनांक 21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 चोर को चोरी हुए स्कूटी के पार्टस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.08.2024 को वादी श्री इरशाद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मौहल्ला गौर गरीबा खाखरोबान थाना कांधला जनपद शामली ने अपनी स्कूटी के 02 टायर मय रिम व फ्रेम को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई तथा दिनांक 29/30.05.2024 की रात्रि में ट्यूबवैव के कोठे की दीवार तोड़कर केबिल,स्टार्टर,ओटोमैटिक स्प्रे मशीन व पाइप लाइन वालो का सामान अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

## **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1.गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

## **बरामदगी का विवरण:-**

1.चोरी किये हुए स्कूटी के 02 टायर मय रिम व फ्रेम।

## **आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-**

1.मु0अ0सं0 170/2024 धारा 457/380 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मुअ0सं0 272/2024 धारा 305 बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।



## प्रेस नोट

थाना गढीपुख्ता व थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20/21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता व थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता व थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.रामपाल पुत्र मिहिंती ग्राम मालेंडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.योगेश पुत्र ओम सिंह निवासी मौहल्ला रविदासपुरी कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।



## प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 21.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र रिषिपाल सिंह निवासी ग्राम मुन्डेड खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।



**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-**

वर्ष 1997 में अभियुक्त प्रमोद पुत्र श्योराज सिंह निवासी दखौड़ी जमालपुर जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 119/97 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

1. प्रमोद पुत्र श्योराज सिंह निवासी दखौड़ी जमालपुर जनपद शामली।